Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 4687 / 2005 / भरतपुर

रामसहाय पुत्र बूची जाति धाकड निवासी मुढेरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर

....अपीलांट

बनाम

1. मूर्ति मंदिर श्री बिहारी जी महाराज वाके ग्राम हाडौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर जरिये नेक्स्ट फेण्डस प्रकाश चन्द व्यास पुत्र घन्टोलीराम, रामजीलाल पुत्र जीवनराम जाति ब्राहमण निवासी हाडौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर
2. तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर
3. नायब तहसीलदार उच्चैन

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री रवि प्रकाश शर्मा, सदस्य

उपस्थित–
श्री सतीश पारीक, अभिभाषक अपीलांट
अभि0रेस्पो0के ब्रीफ होल्डर श्री सदाकत अली खान

दिनांक 16.2.2018

निर्णय

यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 28 / 2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–9–2005 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर रूपवास द्वारा प्रकरण संख्या 183/96 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24–7–2000, जिसके द्वारा दावा खारिज किया गया, के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मूर्ति मंदिर ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–9–2005 द्वारा स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24–7–2000 को निरस्त कर दिया तथा रेस्पो0सं01/अपीलांट मूर्ति मंदिर को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–9–2005 से व्यथित होकर अपीलांट रामसहाय द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि विवादित भूमि गोरधनदास की व्यक्तिगत खातेदारी की भूमि थी जिसकी मृत्यु के पश्चात भूमि उसके चेले जानकीदास के नाम आ गयी और जानकीदास ने दिनांक 14–7–78 को जरिये रजिस्ट्री भूमि का बेचान अपीलांट को कर दिया। यदि रेस्पोडेन्ट पक्ष को इसमें कोई आपत्ति है तो उन्हें दीवानी न्यायालय से रजिस्ट्री को केन्सिल करवाने की कार्यवाही करनी चाहिए।

4. रेस्पोडेन्ट पक्ष का यह तर्क है कि उपरोक्त भूमि मूर्ति मंदिर श्री बिहारी जी महाराज की भूमि रही है। मूर्ति मंदिर चूंकि शाश्वत नाबालिग होता है अतः उसके हितों की रक्षा अनिवार्य है। व्यक्तिगत रूप से भूमि गोरधनदास या जानकीदास की नहीं है। यदि इस भूमि के संबंध में कोई बेचान किया गया है तो वह स्वतः ही शून्य है और उसके आधार पर किसी प्रकार के अधिकारों की प्राप्ति नहीं मानी जा सकती।

5. दोनों पक्षों को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात हमारे समक्ष जो स्थिति उभरकर सामने आती है उसके अनुसार जो भूमि है, वह भूमि राजस्व रेकार्ड के अनुसार पूर्व में मंदिर श्री बिहारी जी के खाते की भूमि होना प्रकट होता है। अपीलांट पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है

कि भूमि मंदिर की नहीं है बल्कि गोरधनदास की खातेदारी की भूमि थी, जो उसके पश्चात उसके चेले जानकीदास के नाम पर आयी और जानकीदास ने अपीलांट को दिनांक 14–7–78 को जरिये रजिस्ट्री बेचान कर दी। किन्तु गोरधनदास जो है, उसके यहां भूमि रहन में रखा हुआ होना बताया गया है जो तत्कालीन मालिक के द्वारा रखना बताया गया है। यह तत्कालीन मालिक कौन था, रहन में कब रखी गई, इनके बाबत कोई तथ्य स्पष्ट रूप से पत्रावली पर प्रकट नहीं किये गये हैं।

6. राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने आक्षेपित निर्णय में यह उल्लेखित किया है कि राजस्व मण्डल ने भी अपने पूर्व के निर्णय में भूमि को मूर्ति मंदिर की होना माना है। अपीलांट ने ऐसा कोई सप्रमाण कथन एवं दस्तावेज, जो उसे खातेदारी हक हकूक हेतु सक्षम करता हो, प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्व रेकार्ड के अनुसार खतौनी संवत् 1985 के कॉलम नंबर 4 में मंदिर के नाम से भूमि दर्ज है। चूंकि भूमि मंदिर के नाम से दर्ज थी, मंदिर एक शाश्वत नाबालिग की स्थिति में होता है अतः मंदिर की भूमि के संबंध में गोरधनदास को या उसके चेले जानकीदास को किसी प्रकार के अधिकार उत्पन्न होना नहीं माना जा सकता। राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–9–2005 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि प्रकाश शर्मा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य